संख्या-813/2017/2115/22-2-2017-17(441)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबू पुत्र श्री भगवान दीन, निवासी जनपद-सीतापुर वर्तमान लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-30218/प्रोबेशन-3(एम 22.06.2017) दिनांक-22.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 22.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी बाबू पुत्र श्री भगवान दीन, ग्राम-अलाईपुर, थाना-सिधौली हाल थाना अटरिया, जनपद-सीतापुर हालपता-मकान न0-536/140/03, मदेयगंज खदरा, सीतापुर रोड, थाना हसनगंज, जनपद लखनऊ का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 17.12.1978 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सूर्यप्रकाश व रामपाल की बल्लम, बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी तथा 01 अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-329/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 323/149 में मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 22.08.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.08.2002 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.12.2016 तक 14 वर्ष 00 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 08 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 17.12.1978 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सूर्यप्रकाश व रामपाल की बल्लम, बन्दूक से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बाबू पुत्र श्री भगवान दीन, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बाबू (बन्दी संख्या-37529) पुत्र श्री भगवान दीन, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-813/2017/2115(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-813/2017/2115/22-2-2017-17(441)/2016

दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बाबू (बन्दी संख्या-37529) पुत्र श्री भगवान दीन, ग्राम-अलाईपुर, थाना-सिधौली हाल थाना अटरिया, जनपद-सीतापुर हालपता-मकान न0-536/ 140/03, मदेयगंज खदरा, सीतापुर रोड, थाना हसनगंज, जनपद लखनऊ का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 17.12.1978 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सूर्यप्रकाश व रामपाल की बल्लम, बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी तथा 01 अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-329/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 323/149 में मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 22.08.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.08.2002 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.12.2016 तक 14 वर्ष 00 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 08 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 17.12.1978 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सूर्यप्रकाश व रामपाल की बल्लम, बन्दूक से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बाबू पुत्र श्री भगवान दीन, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in